तारानाकी मौंगा माउंटेन को कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त हुआ

[स्रोत: डाउन टू अर्थ]

न्यूज़ीलैंड के **दूसरे सबसे ऊँचे माउंटेन तारानाकी मौंगा** को **कानूनी व्यक्तित्व** प्रदान किया गया, जो यह दर्जा प्राप्त करने वाला देश का तीसरा प्राकृतिक स्थल (वर्ष 2014 में **ते उरेवेरा पार्क** और वर्ष 2017 में **वांगानुई नदी** के बाद) बन गया।

- अब इसे औपनिवेशिक नाम **माउंट एग्मोंट** की जगह आधिकारिक तौर पर इसके **माओरी नाम** से जाना जाएगा।
  - [माओरी] **न्यूज़ीलैंड की मूल जनजातियाँ (इवी)** हैं।

माउंट तरानाकी के बारे में:

- **प्रकार:** सममित आकार वाला [स्ट्रैटोवोलकानो] **(संयुक्त शंकु)।**
- **गठन: प्रशांत प्लेट के ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे क्षेपण (Subducting)** का परिणाम।
- **स्थिति: बर्फ से ढका हुआ सुषुप्त ज्वालामुखी।**
- **दक्षिणी आल्प्स** में स्थित **एओराकी/माउंट कुक (3724 मीटर) न्यूज़ीलैंड का सबसे ऊँचा पर्वत** है, जबकि **माउंट तस्मान (3,497 मीटर) दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत** है।

भारत में प्राकृतिक संस्थाओं के कानूनी अधिकार:

- **उत्तराखंड उच्च न्यायालय (वर्ष 2017 और वर्ष 2018): गंगा और यमुना नदियों, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियरों को कानूनी व्यक्तित्व** प्रदान किया गया, तथा बाद में **सभी जानवरों को समान अधिकार** प्रदान किये गये। **सर्वोच्च न्यायालय** ने नदी संबंधी निर्णय पर रोक लगा दी।
- **पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय (वर्ष 2020):** पर्यावरण संरक्षण के लिये **सुखना झील, चंडीगढ़** को एक **जीवित इकाई** घोषित किया गया।
- [illegible] **राज्य (न्यायपालिका)** को उन लोगों के लिये संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है जो स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, जिनमें **नदियाँ, वन और वन्यजीव जैसी प्राकृतिक संस्थाएँ** शामिल हैं।

अधिक पढ़ें: [मानवाधिकार और पर्यावरण]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/taranaki-maunga-mountain-gains-legal-personhood